(70)

बिहार सरकार

अनु0जा0 एवं अन0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–1जी0/ई0 मु0 स्था0–10–46/2012– 1218

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

FAX

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण।
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 26.6.12

विषयः–**सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में अनु0 जाति/जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण एवं वरीयता का लाभ देने के क्रम में उनसे संबंधित गुणात्मक ऑकड़ा(Quantifiable Data) उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 125 दि0–22.06.12 एवं पत्रांक 126 दि0–22.06.12 द्वारा सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में अनु0 जाति/जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण एवं वरीयता का लाभ देने के क्रम में उनसे संबंधित गुणात्मक ऑकड़ा(Quantifiable Data) विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेश दिया गया है।

प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय एवं बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय(शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों) तथा अन्य सभी अधीनस्थ कार्यालयों में कुल स्वीकृत बल/कुल कार्यरत बल एवं अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के कार्यरत पदाधिकारियों एवं सभी संवर्ग के कर्मियों की वास्तविक संख्या संबंधित ऑकडा संलग्न विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/6/12

सरकार के अपर सचिव।

323
D:\as45

अत्यावश्यक

पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–04/2012 सा0प्र0 12-6/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 22-06-2012

विषय:– सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को आरक्षण एवं वरीयता का लाभ देने के क्रम में उनसे संबंधित गुणात्मक आँकड़ा (*Quantifiable Data*) उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि रिट पिटिशन (सिविल) न0 61/2002, एम0 नागराज एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय तथा सदृश अन्य मामलों में पारित न्यायादेश एवं सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–5649/2008 अरूण प्रसाद एवं अन्य तथा अन्य सदृश मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को आरक्षण एवं वरीयता का लाभ देने के क्रम में निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर आँकड़े संग्रहित करने का निदेश है:–

1.) *Backwardness*
2.) *Inadequacy of representation*
3.) *Overall administrative efficiency*

न्यायादेश के आलोक में कार्रवाई करने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। इस क्रम में पिछड़ापन की सीमा का निर्धारण एवं प्रशासनिक दक्षता [क्रमशः कंडिका – (i) एवं (ii)] संबंधी कार्रवाई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व संबंधी आँकड़ों (कंडिका – ii) का संग्रहण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। ऑकड़े संग्रहण के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसे नोडल विभाग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों (मुख्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) में कार्यरत कर्मियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मियों सहित) संबंधी आँकड़े (कंडिका– ii) संलग्न विहित प्रपत्र में एक माह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

Path-PK\SEC-11\143 21 06 2012.docx

मात्र प्रशासी विभाग के स्तर से प्राप्त समेकित सूचनायें ही मान्य हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों से सीधे प्राप्त सूचनायें मान्य नहीं है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25.6.2012

(अजय कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

66

2

विहित प्रपत्र

प्रतिनिधित्व संबंधी ऑकड़े

1. विभाग का नामः–
2. कार्यालय का नामः–
3. सेवा/संवर्ग का नामः–
4. पद/पद समूह की कोटिः–

कुल स्वीकृत बल	कुल कार्यरत बल	अमुसूचित जाति के कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या एवं प्रतिशत	अनुसूचित जाति के कोटे के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं प्रतिशत	वरीयता के विरूद्ध कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मियों की संख्या एवं प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या एवं प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के कोटे के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं प्रतिशत	वरीयता के विरूद्ध कार्यरत अनुसूचित जनजाति के कर्मियों की संख्या एवं प्रतिशत	अभ्युक्ति

स्थानः–............................

तिथिः–.............................

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम

मुहर